

अरुणाचल प्रदेश और असम विवाद

प्रलिस के लयि:

असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद, संवधान का अनुच्छेद 263.

मेन्स के लयि:

पूर्वोत्तर सीमा विवाद और संबंधित मुद्दे तथा आगे की राह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकारों ने सीमा विवादों के समाधान हेतु ज़िला स्तरीय समितियों (District-level Committees) को गठित करने का नरिणय लिया है।

- ये ज़िला समितियों दोनों राज्यों की ऐतहासिक परिरेक्षय, जातीयता, नकितता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुवधा के आधार पर लंबे समय से लंबित मुद्दे के ठोस समाधान खोजने हेतु विवादित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य करेंगी।

प्रमुख बदि

देश में सीमा विवाद:

- असम-अरुणाचल प्रदेश:**
 - असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 कमी की अंतर-राज्यीय सीमा साझा करता है। वर्ष 1987 में बनाए गए अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा है कि पारंपरिक रूप से इसके नवासियों की कुछ भूमि असम को दे दी गई है।
 - एक त्रपिकीय समिति ने सफारिश की थी कि कुछ क्षेत्रों को असम से अरुणाचल में स्थानांतरित किया जाए। इस मुद्दे को लेकर दोनों राज्य न्यायालय की शरण में हैं।
- असम-मज़ोरम:**
 - मज़ोरम एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले असम का एक ज़िला हुआ करता था जो बाद में एक अलग राज्य बना।
 - मज़ोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज ज़िलों से लगती है।
 - समय के साथ सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों की अलग-अलग धारणाएँ बनने लगीं।
 - मज़ोरम चाहता है कि यह बाहरी प्रभाव से आदवासियों की रक्षा के लिये वर्ष 1875 में अधिसूचित एक आंतरिक रेखा के साथ हो, जो मज़ि को उनकी ऐतहासिक मातृभूमि का हिससा लगता है, असम का मानना है कि सीमा का नरिधारण बाद में तैयार की गई ज़िला सीमाओं के अनुसार किया जाए।
- असम-नगालैंड:**
 - वर्ष 1963 में नगालैंड के गठन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चल रहा है।
 - दोनों राज्य असम के गोलाघाट ज़िले के मैदानी इलाकों के बगल में एक छोटे से गाँव मेरापानी पर अपना दावा करते हैं।
 - 1960 के दशक से इस क्षेत्र में हसिक झड़पों की खबरें आती रही हैं।
- असम-मेघालय:**
 - मेघालय ने करीब एक दर्जन क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर राज्य की सीमाओं को लेकर असम के साथ उसका विवाद है।
- हरयाणा-हमिचल प्रदेश:**
 - दो का उत्तरी राज्यों का परवाणू क्षेत्र पर सीमा विवाद है, जो हरयाणा के पंचकुला ज़िले के समीप स्थित है।
 - हरयाणा ने इलाके की एक बड़ी ज़मीन पर अपना दावा किया है और **हमिचल प्रदेश पर** हरयाणा के कुछ पहाड़ी इलाके पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है।
- लद्दाख-हमिचल प्रदेश:**
 - लद्दाख और हमिचल दोनों केंद्रशासित प्रदेश सरचू क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं, जो लेह-मनाली राजमार्ग से यात्रा करने वालों के लिये एक प्रमुख पड़ाव बदि है।

◦ यह क़्षेत्र हमिाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीत ज़िले और लद्दाख के लेह ज़िले के बीच स्थिति है ।

■ **महाराष्ट्र-कर्नाटक:**

- शायद देश में सबसे बड़ा सीमा विवाद बेलगाम ज़िले को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है ।
- बेलगाम में मराठी और कन्नड़ दोनों भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी है तथा दोनों राज्यों के बीच अतीत में इस क़्षेत्र में संघर्ष हुए हैं ।
- यह क़्षेत्र अंगरेज़ों के समय **बॉम्बे प्रेसीडेंसी** का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद इसे कर्नाटक में शामिल कर लिया गया ।

अंतरराज्यीय सीमा विवाद अनसुलझे क्यों हैं?

- **भाषायी आधार पर पुनर्गठन का विचार:** हालाँकि **राज्य पुनर्गठन आयोग, 1956** प्रशासनिक सुविधा पर आधारित था फिर भी पुनर्गठित राज्य काफी हद तक एक भाषा एक राज्य के विचार से मिलते जुलते थे ।
- **भौगोलिक जटिलता:** दूसरी जटिलता इस क़्षेत्र की रही है, जहाँ नदियाँ, पहाड़ियाँ और जंगल कई जगहों पर दो राज्यों में फैले हुए हैं व सीमाओं को भौतिक रूप से चिह्नित नहीं किया जा सकता है ।
 - औपनिवेशिक मानचित्रों ने असम के बाहर पूर्वोत्तर के बड़े इलाकों को **धने जंगलों" (Thick Forests)** के रूप में छोड़ दिया था या **उन्हें "अन्वेषित" (Unexplored) के रूप में चिह्नित** किया था ।
- **स्वदेशी समुदाय:** अधिकांश भाग के स्वदेशी समुदाय अकेले रह गए थे । प्रशासनिक सुविधा के लिये सीमाएँ "ज़रूरत" पड़ने पर ही खींची गई थीं ।
 - वर्ष **1956 के सीमांकन ने वसिंगतियों** का समाधान नहीं किया ।
 - जब **असम (वर्ष 1963 में नगालैंड, वर्ष 1972 में मज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर तथा वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश)** से नए राज्य बनाए गए थे, तब भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया था ।

आगे की राह

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है ।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान का एक विकल्प हो सकता है ।
 - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद से विवादों की जाँच और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने और बेहतर नीति समन्वय हेतु सफ़ाई करने की अपेक्षा की जाती है ।
- इसी तरह सामाजिक और आर्थिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मामलों में प्रत्येक क़्षेत्र में राज्यों के लिये सामान्य चिन्ता के मामलों पर चर्चा करने हेतु **क़्षेत्रीय परिषदों** को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ।
- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है । हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र व राज्य सरकारों दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है ।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था तब उसकी राजधानी कसि बनाया गया था? (2008)

- (a) गुंटूर
- (b) कुरनूल
- (c) नेल्लोर
- (d) वारंगल

उत्तर: (b)

- 1953 में आमरण अनशन के कारण **पोट्टी शरीरामुलु (जसि अमरजीवी कहा जाता है)** की मृत्यु के बाद, आंध्र राज्य को तेलुगू भाषी उत्तरी ज़िलों - रायलसीमा और तटीय आंध्र के समूह के साथ भाषायी आधार पर मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया था । लेकिन वर्ष 1956 में ही वर्तमान तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में वलिय कर दिया गया था तथा यह **आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** के तहत गठित होने वाला पहला राज्य बना ।
- **कुरनूल** आंध्र राज्य की राजधानी थी तथा वर्ष 1956 में हैदराबाद को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया ।

स्रोत: द हिंदू